



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029  
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



संयुक्त प्रयोग

याचिका सं. 317/टीएल/2024

दिनांक: 18.12.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016, द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात "परियोजना" कहा गया है) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच-IV (भाग-25.5 जीडब्ल्यू) (जैसलमेर/बाड़मेर कॉम्प्लेक्स): भाग सी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	<p>2x330 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टरों और 2x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर सहित 3x1500 एमवीएए, 765/400 केवी और 5x500 एमवीएए, 400/220 केवी मंदसौर पुलिंग स्टेशन की स्थापना</p> <p>765/400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी - 3 नंबर (एक स्पेयर यूनिट सहित 10x500 एमवीए सिंगल फेज यूनिट)</p> <p>-400/220 केवीए 500 एमवीए आईसीटी - 5 नंबर (220 केवी बस सेक्शन-1 पर 3 नंबर और 220 केवी बस सेक्शन-2 पर 2 नंबर)</p> <p>-765 केवी आईसीटी बे - 3 नंबर</p> <p>-400 केवी आईसीटी बे - 8 नंबर</p> <p>-330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर- 2 नंबर (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर सिंगल फेज यूनिट)</p> <p>-765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नंबर</p> <p>-765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (इंदौर लाइन के लिए)</p> <p>-125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर</p> <p>-400 केवी रिएक्टर बे - 2 नंबर</p> <p>-220 केवी आईसीटी बे - 5 नंबर</p> <p>-220 केवी लाइन बे - 7 नंबर (बस सेक्शन-1 पर 4 नंबर और बस सेक्शन-2 पर 3 नंबर)</p> <p>-220 केवी बस सेक्शनलाइजर - 1 सेट</p> <p>-220 केवी टीबीसी बे - 2 नंबर</p> <p>-220 केवी बीसी बे - 2 नंबर</p> <p><b>भावी प्रावधान: निम्नलिखित के लिए स्थान:</b></p> <p>-बे सहित 765/400 केवी आईसीटी- 3 नंबर</p> <p>-स्विचेबल लाइन रिएक्टरों सहित 765 केवी लाइन बे- 12 नंबर</p> <p>-बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर - 2 नंबर</p> <p>-765 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट</p> <p>-स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 12 नंबर</p> <p>-बे सहित 400/220 केवी आईसीटी- 5 नंबर</p> <p>-बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर : 2 नंबर</p> <p>-400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे - 1-सेट</p> <p>-220 केवी लाइन बे - 11 नंबर</p> <p>-220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे : 1 सेट</p> <p>-220 केवी बीसी और टीबीसी : 1 नंबर</p> <p>-एमएससी (2x125 एमवीएआर) सहित स्टेटवॉर्म (± 300 एमवीएआर) और 400 केवी बे सहित एमएसआर (1x125 एमवीएआर)</p>	एसपीवी अधिग्रहण से 24 मास
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मंदसौर पीएस - इंदौर (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन</li> <li>• मंदसौर पीएस के मंदसौर सिरे - इंदौर (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन पर प्रत्येक सर्किट पर 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर (एसएलआर)।</li> <li>⇒ 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नंबर</li> <li>⇒ 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग सपकरण - 2 नंबर</li> <li>• मंदसौर पीएस - इंदौर (पीजी) 765 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए इंदौर (पीजी) पर 765 केवी लाइन बे का 2 नंबर</li> </ul>	

### नोट:

- (क) पावरग्रिड इंदौर एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एच और एच2 पैकेजों का कार्यान्वयन सुयोजित किया जाएगा।
- स्विचेबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.9.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 317/टीएल/2024 में दिनांक 18.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 27.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 30.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह पुथी)  
सचिव